

अभिलेख उपस्थापित।

3

राजकुमार पासवान पिता स्व० रामेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-नयाखाप, टोला मुकुन्दगंज, थाना-हजारीबाग मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नयाखाप, थाना नं०-253, खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-192, रकबा 0.0750 एकड़ (7.50 डिसिमिल) (सात दशमलव पाँच शून्य डिसिमिल) भूमि चिन्ता देवी पति विश्वनाथ पासवान पिता स्व० रामेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-नयाखाप टोला मुकुन्दगंज, थाना-हजारीबाग मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22028402 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-686/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3586/रा० दिनांक 29.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 3023 दिनांक 27.12.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत अधीन दुसाध है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 4.57 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 0.39 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-34/1 पर पुनीत दुसाध एवं हुलास दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। आवेदक के दादा वगै० जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिरसे की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 0.3150 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा B.L.R Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आ  
कार्य  
शिपानी

2

प्रश्नगत भूमि का ड्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटागापुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में राजकुमार पासवान पिता स्व० रामेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-नयाखाप, टोला मुकुन्दगंज, थाना-हजारीबाग मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटागापुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नयाखाप, थाना नं०-253, खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-192, रकबा 0.0750 एकड़ (7.50 डिसमिल) (सात दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि चिन्ता देवी पति विश्वनाथ पासवान पिता स्व० रामेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-नयाखाप टोला मुकुन्दगंज, थाना-हजारीबाग मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहत्ता, हजारीबाग।

अपर समाहत्ता, हजारीबाग।